उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 41595

अपील अंतर्गत धारा 19 (3) सू. का अधि.अधिनियम. 2005

समक्ष : श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा श्री देव सिंह, प्लाट नंबर– 278 निर्मल सनसिटी बिगवाड़ा, रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर– 263153.

बनाम

प्रत्युत्तरदाता :

1. लोक सूचना अधिकारी / सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर।
2. श्री अरविन्द सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा वर्तमान लोक सूचना अधिकारी / सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी / उप श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर।

आदेश

आज सुनवाई के समय अपीलार्थी **Hybrid Hearing Mode** के माध्यम से उपस्थित हुये। अपीलार्थी का पत्र दिनांकित 24/05/2025 प्राप्त हुआ, जिसे परीक्षणोपरान्त पत्रावली का भाग बनाया गया। प्रत्युत्तरदातागणों की ओर से वर्तमान लोक सूचना अधिकारी श्री शैलेश सती एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अरविन्द सैनी **Hybrid Hearing Mode** के माध्यम से उपस्थित हुये। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री विपिन कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि श्री बलराम सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आयोग में उपस्थित हुये। लोक सूचना अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर द्वारा पत्र दिनांक

SH

28/05/2025 के माध्यम से लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया, जिसे परीक्षणोपरान्त पत्रावली का भाग बनाया गया।

2. अपीलार्थी द्वारा अनुरोध पत्र दिनांकित 06.06.2024 लोक सूचना अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर को सम्बोधित कर प्रेषित करते हुए निम्नानुसार 4 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयीः—

बिन्दु सं0 1. करोलिया लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 3 प्लॉट नं 69A, 70 आई.आई.ई. पन्तनगर के प्रबंधक द्वारा करोलिया लाइटिंग इम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह तथा महामंत्री अशोक सिंह की गैर कानूनी गेट बंदी के संबंध में सवेतन कार्यबहाली के संबंध में सहायक श्रम आयुक्त महोदय द्वारा कारखाना प्रबंधक को पत्रांक संख्या 659—60/उश्रउसिंन, दिनांक 14.2.2024 व पत्रांक संख्या 817—18/उश्रउसिंन, दिनांक 04.3.2024 को जारी नोटिस की प्रगति की सूचना संबंधित पत्रावली के साथ उपलब्ध कराएं।

बिंदु सं. 2. उपरोक्त पत्रांक संख्या 659—60/उश्रउसिंन, दिनांक 14.2.2024 व पत्रांक संख्या 817—18/उश्रउसिंन, दिनांक 04.3.2024 के तहत उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 ई (3) के उल्लंघन हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की प्रासंगिक धारा 14ए में निहित प्रवधानानुसार करोलिया लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्वामी पर माननीय सक्षम न्यायालय में प्राभियोजन दाखिल करने संबंधी कार्यवाही व प्रगति की पूरी सूचना पत्रावली व विवरण सहित उपलब्ध कराएं।

बिंदु सं. 3. करोलिया लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 3 प्लॉट नं 69A,70 आई.आई.ई. पन्तनगर में प्लांट स्तर पर श्रम विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2024 व अन्य तिथियों पर किए गए निरीक्षण की सूचना संबंधित जांच आख्या रिपोर्ट व उसपर हुई कार्यवाही विवरण व पत्रावली सहित उपलब्ध कराएं।

बिंदु सं. 4. करोलिया लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त सिड़कुल पंतनगर में वित्तीय वर्ष 2020—21 एवं 2021—22 के बोनस भुगतान के संबंध में यूनियन की शिकायत पर श्रीमान श्रम

SH

आयुक्त उत्तराखंड हल्द्वानी द्वारा प्रेषित नोटिस संख्या 3859/बोनस/एक–90/2023 दिनांक 21/11/2023 जिसमें उपरोक्त वित्तीय वर्ष के लिए बोनस भुगतान से संबंधित सभी समस्त अभिलेखों की प्रबंधन से मांग की गई थी, के संदर्भ में समस्त कार्यवाही की सूचना संबंधित पत्रजातों व अभिलेख सहित देने की कृपा करें।

3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10/07/2024 को विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर को सम्बोधित करते हुए प्रथम अपील प्रेषित की गयी। प्रथम अपील के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर द्वारा पत्र दिनांक 18/07/2024 के द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण कर चिन्हिकरण किसी भी कार्यदिवस में कर सकते है, जिससे उपरोक्त 04 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करायी जा सके। विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर द्वारा दिनांक 29/08/2024 को प्रथम अपील का निस्तारण किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि "लोक सूचना अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर द्वारा कथन किया गया है कि अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र के 04 बिन्दुओं की सूचना से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन कराया गया जिसके उपरांत चिन्हित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करा दी गयी"। प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट न होने पर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील योजित की गयी।

4. आयोग के नोटिस के क्रम में लोक सूचना अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर द्वारा पत्र दिनांक 28/05/2025 के माध्यम से निम्नानुसार आख्या प्रस्तुत की गयीः–

i. अपीलकर्ता का अनुरोध प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2024 इस कार्यालय को दिनांक 06.06.2024 को प्राप्त हुआ है।

ii. उक्त प्रस्तुत अनुरोध प्रार्थना पत्र के 04 बिन्दुओं की सूचना के संबंध में अनुरोधकर्ता को संबंधित पत्रावली का निरीक्षण कराने के

SH

पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या 2351/उ.श्र.उ.सिं.न.–सू. अधि.सं.–47/2024 दिनांक 20.07.2024 के माध्यम से अनुरोधकर्ता को तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।

iii. अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.04.2025 को कार्यालय उप श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर में सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर का अतिरिक्त प्रभाग ग्रहण किया गया है। माननीय अयोग के नोटिस संख्या 00373/NT/UIC/2025–26/उ.सू.आ./ अपील/2025–26/41595/2025–26 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा उक्त पत्रावली संज्ञान में आने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पाया गया कि श्री हरेन्द्र सिंह के मूल सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 06.06.2024 के बिन्दु संख्या 02 व 03 की कतिपय सूचनाएं/अभिलेखों की छायाप्रतियां अपीलकर्ता/अनुरोधकर्ता श्री हरेन्द्र सिंह को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री हरेन्द्र सिंह के सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 06.06.2024 के बिन्दु संख्या 02 व 03 के 25 पृष्ठों की प्रमाणित छायाप्रति निःशुल्क अनुरोधकर्ता को इस कार्यालय के पत्र संख्या 2817–18 दिनांक 26.05.2025 के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दी गयी है।

iv. इस प्रकार श्री हरेन्द्र सिंह के अनुरोध पत्र दिनांक 06.06.2024 के संबंध में अनुरोधकर्ता/अपीलकर्ता को समस्त सूचनाएं प्रेषित कर दी गई है तथा उनके अनुरोध पत्र के संबंध में अन्य कोई सूचना उपलब्ध करना शेष नहीं है, अतः श्री हरेन्द्र सिंह की द्वितीय अपील को तद्नुसार निस्तारित करने का कष्ट करें।

5. आज सुनवाई के समय पत्रावली का परीक्षण करने पर स्पष्ट हुआ कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा करोलिया लाइटिंग इम्पलाइज यूनियन, उधमसिंहनगर के पैड पर अध्यक्ष, करोलिया लाइटिंग इम्पलाइज यूनियन, उधमसिंहनगर के रूप में सूचना आवेदन/अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र में आवेदक का पता यूनियन के कार्यालय का दिया गया है। स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र का गंभीरतापूर्वक परीक्षण नहीं किया गया। **स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार**

SH

अधिनियम के अंतर्गत आम नागरिक के रूप में सूचना मांगे जाने का प्राविधान है, किसी संस्था के पदाधिकारी के रूप में सूचना मांगना अधिनियम के अंतर्गत प्राविधानित नहीं है। सूचना का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। संस्थान, यूनियन, संस्था अथवा निकाय भारत का नागरिक नहीं है। संस्थान अथवा यूनियन आदि के पदाधिकारी एक नागरिक के रूप में स्वयं के लिये तो सूचना मांग सकते हैं लेकिन सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत संस्थान, संस्था, यूनियन या निकाय के पदाधिकारी के रूप में संस्थान, यूनियन अथवा निकाय के लिये सूचना की मांग नहीं की जा सकती। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06/06/2024 को प्रस्तुत मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अरविन्द सैनी द्वारा पत्र दिनांक 18/07/2024 के माध्यम से अपीलार्थी को अवलोकन हेतु आमंत्रित किया गया। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह परीक्षण नहीं किया गया कि मूल अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम प्राविधान के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं। अपीलार्थी द्वारा यूनियन के अध्यक्ष के रूप में यूनियन के लिये सूचना मांगी गयी है जिसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य न करते हुए अपीलार्थी को निर्धारित 30 दिन की समय–सीमा के अंदर अवगत कराना चाहिए था। वर्णित स्थिति में स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अरविन्द सैनी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का भली–भांति अनुपालन नहीं किया गया है। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अरविन्द सैनी को कठोर चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रति सजग रहते हुए अनुरोध पत्रों का निस्तारण किया जाये। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की तामीली तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अरविन्द सैनी को करायी जानी सुनिश्चित की जाये।

6. यह आश्चर्यजनक है कि प्रथम अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रश्नगत प्रकरण में मूल अनुरोध पत्र की अनदेखी की गयी। उनके द्वारा प्रथम अपील का निस्तारण सरसरी तौर पर किया गया तथा यह परीक्षण नहीं किया गया कि अपीलार्थी का मूल अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि **सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील की सुनवाई अर्द्ध**

SH

न्यायिक प्रक्रिया है। जिसके अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है कि अपील का निस्तारण यह सुनिश्चित करते हुये किया जाये कि सूचना हेतु अनुरोध पत्र अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। प्रस्तुत अपील में विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील का निस्तारण जिम्मेदारी पूर्वक अधिनियम के अनुरूप नहीं किया गया। तत्कालीन विभागीय अपीलीय अधिकारी को कठोर चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रति सजग रहते हुए प्रथम अपीलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। **प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को भी स्पष्ट किया जाता है कि यूनियन के पदाधिकारी के रूप में यूनियन के लैटर हैड पर यूनियन हेतु सूचना मांगना अधिनियम के अंतर्गत प्राविधानित नहीं है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वह एक आम नागरिक के रूप में स्वयं के लिये ही सूचना की मांग कर सकते हैं। अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में इसका ध्यान रखते हुए ही सूचना अधिकार के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रस्तुत किये जायें।**

7. प्रस्तुत द्वितीय अपील उपरोक्तानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है, अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त करते हुए निस्तारित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(योगेश भट्ट)
राज्य सूचना आयुक्त

दिनांकः 03.06.2025

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून
SH